अनुबंध -III

कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ (४) के अधीन, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के, ३१ मार्च, २००७ को समाप्त वर्ष के लेखे पर भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के ३१ मार्च, २००७ को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी अधिनियम १९५६ के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय ढाँचे के अनुरुप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम १९५६ की धारा ६१९ (२) के अधीन नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का यह उत्तरदायित्व होता है कि, वह अपने व्यावसायिक निकाय-भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्धारित, लेखा परीक्षा तथा प्रत्याभूति मानकों के सहयोग से स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। यह कार्य उनके द्वारा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट-३० जून, २००७ के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक व महालेखाकार की ओर से, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों की ३१ मार्च, २००७ को समाप्त वर्ष के लिए, कंपनी अधिनियम की धारा ६१९ (३)(b) के अधीन अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रकार्य-प्रपत्रों के अभिगमन के बिना, स्वतंत्रतापूर्वक संचालित की गई तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखा-परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखीय अभिलेखों की वरणात्मक परीक्षा तक ही सीमित है। प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में, किए गए पुनरावलोक की दृष्टि से, अनुसूची (२१) लेखे के भाग के रुप में टिप्पणी के नोट सं. २३ में यथा निर्धारित अनुपूरक लेखा-परीक्षा के दौरान निर्दिष्ट मेरे लेखा परीक्षाओं संबंधी कथनों के परिणामस्वरुप, कंपनी अधिनियम १९५६ की धारा ६१९ (४) के अधीन दिनांकः १६ अगस्त, २००७ की सांविधिक लेखा परीक्षक के पुनरीक्षित विवरण की अनुपूरक लेखा परीक्षा पर मुझे आगे और कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

(कृते तथा भारत के नियंत्रक व
महालेखा-परीक्षक की ओर से)
ह0/-
(जी. एन. सुन्दर राजा)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं लेखा-परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद के पदेन सदस्य
महालेखाकार का कार्यालय परिसर
सईफाबाद, हैदराबाद–500 004

स्थानः हैदराबाद
दिनांकः २२-०८-२००७